राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।

निविदा सूचना

क्रं० –1220 दिनांक 28-12-18

डीलक्स आगार जयपुर में संचालित विभिन्न श्रेणी की वाहनों के पैसेन्जर सैलून की ड्राईक्लीनिंग/शैम्पूयिंग का कार्य करवाने के लिए दिनांक 10.01.2019 को मध्यान्ह 03.00बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन मध्यान्ह 03.30बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत विवरण निगम की वेबसाईट http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc एवं राज्य उपापन पोर्टल पर देख सकते है। निविदा फॉर्म दिनांक 10.01.2019 को दोपहर 02.00बजे तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान 200रूपये नकद जमा कराकर डीलक्स आगार कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त किये जा सकते है।

(के0एस0मीना)
मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर ।

डीलक्स आगार की वाहनों के पैसेन्जर सैलून का ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग कार्य हेतु

निविदा–फार्म

1	आवेदनकर्ता का नाम/फर्म का नाम	
2	आवेदनकर्ता का स्थाई पता	
3	आवेदनकर्ता का आधार नंबर (प्रति संलग्न करें)	
4	आवेदनकर्ता का दूरभाष/मोबाईल नंबर	
5	आवेदनकर्ता का पत्र व्यवहार का पता	
6	आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन फार्म हेतु निगम कोष में जमा करायी गयी राशि 200--00रू की रसीद संख्या/दिनांक	
7	वाहनों के पैसेन्जर सैलून की सीटों की शैम्पूयिंग एवं ड्राईक्लीनिंग कार्य की दर(प्रति सीट)	
8	वाहनों के पैसेन्जर सैलून की शैम्पूयिंग एवं ड्राईक्लीनिंग कार्य की दर (सीटों सहित)	
9	वाहनों के पैसेन्जर सैलून की शैम्पूयिंग एवं ड्राईक्लीनिंग कार्य की दर (सीटों रहित)	
10	ड्राईक्लीन हेतु उपयोग में लिये जाने वाले केमिकल का विवरण मय मेक	

निविदा की शर्ते–

1. निविदादाता को निविदा के साथ 10,000--00 निगम कोष में बतौर बयाना राशि, नकद जमा करानी होगी तथा निविदा स्वीकार की जाने की स्थिति में कार्य की वार्षिक लागत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी आवश्यक होगी, सफल निविदादाता की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में समायोजित करते हुये शेष राशि निगम कोष में जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।
2. सफल निविदादाता/फर्म को उपलब्ध करायी गई वाहन की ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग एक दिन में करनी होगी तथा बसों ड्राईक्ल न डीलक्स आगार कार्यशाला में ही की जावेगी।
3. संबंधित फर्म को सों की ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग से संबंधित समस्त सामान स्वयं उपलब्ध कराना होगा, जिसका खर्च संबंधित फर्म द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
4. संबंधित फर्म द्वारा ड्राईक्लीनिंग/शैम्पूयिंग कार्य में प्रयुक्त कैमिकल ब्राण्डेड होना चाहिये। तथा यदि फर्म द्वारा प्रयोग में लिये जाने वाले कैमिकल की गुणवत्ता निगम को संतोषजनक नहीं पायी जावेगी तो निगम द्वारा बताये गये ब्राण्ड़ का कैमिकल उपयोग में लेना होगा
5. बसो की ड्राईक्लोन/शैम्पूयिंग के दौरान सीटों एवं अन्य सामान में किसी प्रकार का दोष आने पर संबंधित फर्म का उत्तरदायित्व निर्धारित रहेगा तथा वास्तविक क्षति राशि की वसूली फर्म को देय भुगतान अथवा जमा प्रतिभूति राशि में से कर ली जावेगी।
6. फर्म को उपलब्ध करायी गई वाहन की ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग एक दिवस में करनी होगी, ऐसा न करने पर प्रति वाहन 500–00रू की पैनल्टी देयक से कर ली जावेगी।
7. वाहन में किये गये ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग का कार्य आवश्यकतानुसार/संतोषजनक न किये जाने की स्थिति में अनुबन्ध समाप्त करते हुये प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. वाहन में किया गया ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग कार्य आवश्यकतानुसार किया गया है, का प्रमाणिकरण प्रबन्धक (संचालन), डीलक्स आगार द्वारा किये जाने पर ही भुगतान देय होगा।

क्रमशः........2

9. निविदादाताओं को निविदा हेतु प्रस्तुत लिफाफे पर " बसों की ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग हेतु निविदा" अंकित कर प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदादाता को वाहन की ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग में होने वाला समस्त व्यय जैसे–मजदूरी, मैटेरियल, भाडा इत्यादि स्वयं वहन करना होगा, जिसका पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा। तदनुसार निविदादाता को समस्त व्यय सम्मिलित करते हुये निविदा हेतु दरें प्रस्तुत किये जाने चाहिये।
11. निविदादाता द्वारा ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग कार्य हेतु प्रस्तुत दरें केवल मात्र डीलक्स आगार कार्यशाला में वाहनों के ड्राईक्लीन कार्य हेतु ही मान्य होगी। तथा निविदाकार को दरें प्रस्तुत करते समय इस कार्य पर देय समस्त प्रकार के टैक्स इत्यादि को सम्मिलित करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने चाहिये।
12. जी0एस0टी0 सहित सभी प्रकार के करों का भुगतान एवं श्रम कानूनों की पालना करने का दायित्व निविददादाता का होगा। देयक से नियमानुसार कार्यरत श्रमिकों की सीपीएफ/ईएसआई/ आयकर की नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा तय दरों पर कटौती की जावेगी।
13. समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र केवल मात्र जयपुर रहेगा।
14. उक्त निविदा/अनुबन्ध के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक), रापनिगम, मुख्यालय जयपुर का निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।
15. निविदादाता को डीलक्स आगार में उपलब्ध समस्त श्रेणी की वाहनों के ड्राईक्लीन/शैम्पूयिंग कार्य के मध्य नजर दरें प्रस्तावित की जानी चाहिये।
16. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें एक वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगी, जिसकी अवधि दोनो पक्षो की सहमति से बढायी जा सकती है।
17. निविदादाता को कार्य आवंटन होने पर, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके द्वारा प्रस्तावित किये केमिकल का एक सैम्पल कार्यशाला प्रभारी के पास उपलब्ध कराना होगा।
18. निविदादाता फर्म को उक्त कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
19. निविदादाता द्वारा निविदा के संबंध में कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी।
20. राजस्थान परिवहन निगम को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा/अनुबन्ध को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है तथा यदि अनुबन्धकर्ता–द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करना चाहता है तो उसे तीन माह का नोटिस देना आवश्यक होगा, अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

मै/हम घोषणा करता/करते हूँ/है कि आवेदन–पत्र में अंकित शर्ते/प्रावधान हमें स्वीकार है, जिन्हें पूर्णतः पढ़कर एवं समझकर स्वीकारोक्तिस्वरूप हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर,

(आवेदनकर्ता)